भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1219
दिनांक 09 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

प्लास्टिक की पानी की बोतलों का प्रतिकूल प्रभाव

1219. श्री घनश्याम सिंह लोधी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश मे प्लास्टिक की पानी की बोतलों से पानी पीना खतरनाक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सम्पूर्ण देश में बोतलबंद पानी के किसी प्रतिकूल प्रभाव की खबर आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सम्पूर्ण देश मे प्लास्टिक की पानी की बोतलों मे नैनो प्लास्टिक कण पाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा बोतलबंद पानी पर प्रतिबंध लगाने/बंद करने और इस संबंध में कोई विकल्प तलाशने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (घ): खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत स्थापित भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई), पैकबंद पेय जल सहित मानव उपभोग के लिए खाद्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विनियामक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, संचित पेयजल, खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योज्य) विनियम, 2011 के अंतर्गत प्रदत्त विनिर्देशों को पूरा करेगा। इसके अलावा, पैकबंद पेय जल की पैकेजिंग के लिए उपयोग की जाने वाली प्लास्टिक खाद्य संपर्क सामग्री खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 को अनुरूप होगी।

खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 निर्दिष्ट करता है कि पीने का पानी (पैकबंद और मिनरल पानी दोनों) रंगहीन, पारदर्शी और हेर-फेर रहित बोतलों या आईएस: 10146 के अनुरूप पॉलीथीन (पीई) या आईएस: 10151 के अनुरूप पॉलीविनाइल क्लोराइड (पीवीसी) या आईएस: 12252 के अनुरूप पॉलीएल्काइलीन टेरेफ्थेलेट (पीईटी और पीबीटी) या आईएस: 10910 के अनुरूप पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) या आईएस: 14971 के अनुरूप खाद्य ग्रेड पॉली कार्बोनेट या आईएस के अनुरूप पॉलीस्टाइनिन आईएस 10142 या जीवाणुहीन कांच की बोतलें से बने कंटेनरों में पैक किया जाएगा:

इसके अलावा, प्लास्टिक मूल की सभी पैकेजिंग सामग्री को आईएस: 9845 और खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियमन, 2018 में निर्दिष्ट विशिष्ट माइग्रेशन सीमाओं के अनुसार निर्धारित समग्र माइग्रेशन सीमा में खरा उतरना आवश्यक है।

*****